राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
(वित्त आयोग एवं आर्थिक मामलात अनुभाग)

षष्टम राज्य वित्त आयोग द्वारा राज्यपाल महोदय को प्रस्तुत की गयी वर्ष 2020–21 एवं 2021–22 के लिए अंतरिम रिपोर्ट पर की गई कार्रवाई (Action Taken) का ज्ञापन।

षष्टम राज्य वित्त आयोग का गठन, राज्यपाल महोदय के आदेश दिनांक 12 अप्रेल, 2021 (वित्त विभाग की अधिसूचना दिनांक 12 अप्रेल, 2021 द्वारा अधिसूचित) द्वारा वर्ष 2020 से 2025 की, पाँच वर्ष की अवधि हेतु अपनी रिपोर्ट 1 वर्ष 6 माह में देने के निर्देश के साथ किया गया। आयोग को अपनी अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु निवेदन किया गया था। आयोग द्वारा वर्ष 2020–21 एवं 2021–22 के लिए अपनी अंतरिम रिपोर्ट दिनांक 28 जून, 2021 को राज्यपाल महोदय को प्रस्तुत की गयी है।

2. षष्टम राज्य वित्त आयोग की यह अंतरिम रिपोर्ट वर्ष 2020–21 एवं 2021–22 से संबंधित है तथा उसमें की गई सिफारिशों पर की गई कार्रवाई का ज्ञापन संविधान के अनुच्छेद 243 आई(4) तथा 243 वाई(2) के अनुसरण में सदन के पटल पर रखा जा रहा है।

3. राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2020–21 एवं 2021–22 के लिए आयोग की अंतरिम रिपोर्ट में की गयी सिफारिशों पर सावधानी पूर्वक विचार किया गया है, जिनका विवरण एवं राज्य सरकार द्वारा की जाने वाली कार्रवाई का विवरण निम्नानुसार है :

क्र. सं.	आयोग की सिफारिशों का सार	राज्य सरकार द्वारा की जाने वाली कार्रवाई का विवरण
1.	**राज्य के शुद्ध कर राजस्व में हिस्सा :** राज्य के स्वयं के शुद्ध कर राजस्व का 6.75 प्रतिशत हिस्सा इन संस्थाओं को अंतरित किया जाये। राज्य के स्वयं के शुद्ध कर राजस्व के 6.75 प्रतिशत हिस्से का वितरण 2011 की जनगणना रिपोर्ट के आधार पर पंचायती राज संस्थाओं एवं नगरीय स्थानीय निकायों के मध्य 75.1 एवं 24.9 प्रतिशत के अनुपात में किया जाये। आयोग द्वारा राज्य के वर्ष 2020–21 एवं 2021–22 के बजट अनुमानों के आधार पर की गई गणना के अनुसार वर्ष 2020–21 एवं 2021–22 मे क्रमशः 3888.77 एवं 5919.98 करोड़ रुपये का अनुदान देय है।	राज्य सरकार द्वारा आयोग की सिफारिश को स्वीकार कर लिया गया है।
	पंचायती राज संस्थाओं की हिस्सा राशि की 55 प्रतिशत राशि मूल भूत एवं विकास कार्यो के लिए, 40 प्रतिशत राशि राष्ट्रीय/राज्य स्तरीय प्राथमिकता की योजनाओं/गतिविधियों के कियान्वयन, जिनमें कोविड–19 की रोकथाम से सम्बन्धित गतिविधियॉं भी शामिल हैं, एवं 5 प्रतिशत राशि पंचायती राज संस्थाओं के लिये चिन्हित	

	गतिविधियों में प्रदर्शन के बदले प्रोत्साहन अनुदान राशि के रूप में वितरित की जायें। नगरीय स्थानीय निकायों की हिस्सा राशि की 75 प्रतिशत राशि मूल भूत एवं विकास कार्यो के लिए, 20 प्रतिशत राशि राष्ट्रीय/राज्य स्तरीय प्राथमिकता की योजनाओं/गतिविधियों के कियान्वयन, जिनमें कोविड–19 की रोकथाम से सम्बन्धित गतिविधियॉ भी शामिल हैं, एवं 5 प्रतिशत राशि नगरीय स्थानीय निकायों के लिये चिन्हित गतिविधियों में प्रदर्शन के आधार पर प्रोत्साहन अनुदान राशि के रूप में वितरित की जायें।	
2.	**पंचायती राज संस्थाओं के लिए निर्धारित हिस्से का वितरण :** पंचायती राज संस्थाओं को राज्य के स्वयं के शुद्ध कर राजस्व में से आवंटित की जाने वाली राशि के जिलेवार वितरण का आधार एवं विवरण अंतरिम रिपोर्ट के पैरा 18 एवं 19 में दिया गया है। पंचायती राज संस्थाओं के मध्य पारस्परिक वितरण योग्य राशि का अनुपात जिला परिषद को 5 प्रतिशत, पंचायत समितियों को 20 प्रतिशत एवं ग्राम पंचायतों को 75 प्रतिशत रखा जाना है।	राज्य सरकार द्वारा आयोग की सिफारिश को स्वीकार कर लिया गया है।
3.	**नगरीय स्थानीय निकायों के लिए निर्धारित हिस्से का वितरण :** नगरीय स्थानीय निकायों को राज्य के स्वयं के शुद्ध कर राजस्व में से हिस्से की राशि का वितरण 55 प्रतिशत समस्त नगरीय स्थानीय निकायों के मध्य उनकी जनसंख्या के आधार पर, 15 प्रतिशत समस्त नगरीय स्थानीय निकायों के मध्य उनके क्षेत्रफल के आधार पर तथा 30 प्रतिशत समस्त नगरपालिकाओं के मध्य उनकी जनसंख्या के आधार पर (20 प्रतिशत) एवं नगरपालिकाओं के पिछले 5 वर्ष की स्वयं की औसत प्रति व्यक्ति आय के विचलन के आधार पर (10 प्रतिशत) किया जाना है।	राज्य सरकार द्वारा आयोग की सिफारिश को स्वीकार कर लिया गया है।
4.	**पन्द्रहवें केन्द्रीय वित्त आयोग का अनुदान :** स्थानीय निकायों के लिये पन्द्रहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर प्राप्त अनुदान का पारस्परिक वितरण आयोग द्वारा सिफारिश किये गये मापदण्डों एवं मानकों के आधार पर किया जाये।	पन्द्रहवें वित्त आयोग के तहत वर्ष 2020–21 एवं 2021–22 एवं भविष्य में प्राप्त होने वाली किश्तों के वितरण के सम्बन्ध मे आयोग के सुझाव को स्वीकार कर लिया गया है।

4. आयोग की अंतरिम रिपोर्ट में की गयी सिफारिशें वर्ष 2020–21 एवं 2021–22 की अंतरिम व्यवस्थाओं के रूप में हैं। अतः आयोग की अंतिम रिपोर्ट में की जाने वाली सिफारिशों के अंतर्गत ये परिवर्तनीय हैं।

5. कियान्विति:

(i) राज्य के स्वयं के शुद्ध कर राजस्व से अंतरण के संबंध में आदेश पंचायती राज विभाग एवं स्थानीय निकाय विभाग द्वारा प्रसारित किये जायेंगे। पंचायती राज संस्थाओं एवं नगरीय स्थानीय निकायों हेतु निर्धारित राशि 2 किश्तों में जारी की जायेगी।

(ii) आयोग की सिफारिशों के अंतर्गत अंतरित राशि के उपयोग एवं वितरण के संबंध में विस्तृत दिशा–निर्देश पंचायती राज विभाग एवं स्थानीय नगरीय विभाग द्वारा प्रसारित किये जायेंगे।

दिनांक : 2/9/,2021

(अशोक गहलोत)
मुख्यमंत्री

INTERIM REPORT

OF THE

SIXTH STATE FINANCE COMMISSION

RAJASTHAN

(FOR 2020-21 AND 2021-22)

JAIPUR JUNE, 2021

INTERIM REPORT

OF THE

SIXTH STATE FINANCE COMMISSION

RAJASTHAN

(FOR 2020-21 AND 2021-22)

State Finance Commission,
I-Floor, B-Block, Vitt Bhawan,
Janpath, Jaipur. (Raj)
Website: sfc.rajasthan.gov.in
Email: sfc-6@rajasthan.gov.in

JAIPUR
JUNE, 2021

Interim Report

Preamble

1. Under Articles 243-I and 243-Y of the Constitution of India, the Governor of the State would constitute, after the expiry of every five years, a Finance Commission, to review the financial position of rural and urban local bodies in the State and make recommendations to the Governor regarding devolution of financial resources from the State Government to the local bodies (rural and urban) and also the shares of Panchayati Raj Institutions and Urban Local Bodies on an efficient and equitable basis. The above provisions have been incorporated in the Constitution by the 73rd Amendment Act 1992 (w.e.f. 24.04.1994).

2. With the passage of 73rd and 74th Constitutional Amendments, the Panchayati Raj Institutions and Urban Local Bodies have acquired legally mandated Status and thus paved the path of democratic decentralization of governance by delegating various functions to the local bodies by providing the opportunities to the people to participate in direct democracy. Central and State Finance Commissions have effectively played their roles in financial decentralization since then. Fifteen Central Finance Commission and Fifth State Finance Commission have given their recommendations for increased financial devolution to the local bodies. The constitution of the Sixth State Finance Commission would consider further strengthening of the third layer of governance.

3. In pursuance of the provisions of Articles 243-I and 243-Y of the Constitution of India, the Sixth State Finance Commission is constituted by an order of H.E. the Governor of Rajasthan vide Notification no. F6(1)FD/FC & EAD/SFC/2019 dated 12.04.2021, with the mandate to give its report within one and half year. Matters on which the Commission is required to make recommendations are set out in the Terms of Reference (ToR) and are broadly the same as were given to the Fifth State Finance Commission. The Commission is mandated to review the financial position of the Panchayati Raj Institutions (PRIs) and Urban Local Bodies (ULBs) at all levels to make recommendations as to the principles which should govern the distribution between the State and Panchayati Raj Institutions (PRIs) and Urban Local Bodies (ULBs) at all levels of the net proceeds of taxes etc. and grants to be given to these institutions. This Commission is also expected to suggest the measures needed to strengthen the financial position of local governments. Apart from this, the Commission has also been asked to suggest the system of maintaining online accounting system, a proper fiscal database linkage with Integrated Financial Management System (IFMS) relating to local bodies and measures for better fiscal management consistent with the need for speed, efficiency and cost effectiveness of delivery of services.

4. The State Finance Commission has been constituted recently, but to avoid delays in collection of information, the State Government appointed an Officer on Special Duty, State Finance

Commission in the month January, 2021 to get the relevant information collected from the local bodies and concerned offices. For collecting the basic information, questionnaires for each tier of Panchayati Raj Institutions and Urban Local Bodies were designed and sent to them with the request to furnish reply to the questionnaire and other relevant information. For expediting collection of the information regular reminders have also been sent to these institutions, but due to pandemic Covid-19 and other reasons, the same is yet to be received from most of the local bodies. The concerned administrative Secretaries/Commissioners/Directors have also been requested for timely submission of the information. Some supporting staff and logistic support were sanctioned in the month of April, 2021 which could not be made functional due to spread of pandemic Covid-19 and lockdown. Since the State Finance Commission has been constituted recently and yet to be fully functional due to the pandemic Covid-19, proper assessment of requirement of funds for the Panchayati Raj Institutions and the Urban Local Bodies will take some more time. In such a short span of time, it is not possible to ascertain the requirement of funds realistically for these bodies. The Commission intends to discuss in detail with all the stakeholders of Panchayati Raj Institutions and the Urban Local Bodies. As we know, third layer of governance is an important tool of local democracy, there is a need of strengthening these bodies. These local bodies will get empowerment only with fiscal self-reliance. For additional resource mobilization, the Commission will discuss in detail with these bodies and ponder over the measures required to be

taken. The local bodies (urban and rural) can be strengthened by their own revenue resource mobilization, normative and appropriate devolution of funds by the State Government, accountability in delivering public services and public expenses, transparency and responsiveness at all echelons of the governance. The local bodies (urban and rural) should publish service level benchmarks for basic services to the people. There should be a transparent mechanism of monitoring of services to be delivered by these local bodies so that the concerned designated officer ensures delivery of services in the stipulated time lines as prescribed in the Rajasthan Guaranteed Delivery of Public Services Act, 2011. The Commission will also carry out a study of best practices of other States of the country and would interact with its counter parts in other States. Accountability and transparency in financial transactions is also equally important. As such, after detailed deliberations and proper interactions with all the stakeholders, the Commission would like to devise and suggest a suitable mechanism in this regard.

5. As per the constitutional provision, funds to the local bodies can be released only on the recommendations of the State Finance Commission. In order to avoid financial hardships further to the local bodies (urban and rural) and to allow them to undertake their developmental and civic services in time, the Commission has been requested by the Government vide D.O. letter F6(1)FD/FC & EAD/SFC/2019 dated 18.05.2021 to submit an Interim Report for the financial years 2020-21 and 2021-22. Before finalization of its Interim Report, the Commission

intended to have discussions with the Ministers of the concerned departments namely Rural Development & Panchayati Raj, Local Self Government and Finance. However, these meetings could not be held because of spread of pandemic Covid-19. But a virtual meeting with Principal Secretary, Finance was held on 14 June, 2021 to discuss the State Finances. Accordingly as desired by the Government, the Commission is submitting its Interim Report for the financial years 2020-21 and 2021-22.

State Finances

6. The Finance Department in its memorandum submitted to the Commission has indicated that the total expenditure of the State increased from Rs. 116305.48 crore in the financial year 2014-15 to Rs. 213491.02 crore in the financial year 2019-20. On the other hand the revenue receipts of the State increased from Rs. 91326.91 crore in the financial year 2014-15 to Rs. 140113.81 crore in the financial year 2019-20 which reveals that the growth in total expenditure is 83% whereas growth in revenue receipts is 53% only. The revenue expenditure has also increased from 94591.97 crore in the financial year 2014-15 to Rs. 176485.10 crore in the financial year 2019-20, which depicts an increase of 86.67% during this period. The State Government has submitted that major component of revenue expenditure is of committed nature which cannot be curtailed or deferred. The memorandum further mentions that the State Government had to spend 109.54% of its total receipts during the financial year 2019-20 on essential expenditure like salary and wages

(35.02%), pension (14.82%), interest (16.87%) and grant-in-aid/subsidy etc. to various institutions (42.83%). In such a situation, the State Government has to borrow money for developmental expenditure and as a result, the borrowing requirement of the State is increasing day by day, which in turn increasing the interest liability on the State. As per FRBM Act, the State is permitted for a total net borrowing of 3% of GSDP, however, due to Covid-19 pandemic, Government of India allowed additional borrowing of 2% of GSDP for the financial year 2020-21. For the financial year 2021-22 and 2022-23 Fifteenth Finance Commission has recommended net borrowing limit 4% and 3.5% of GSDP respectively.

7. The Finance Department has submitted that there is a continuous stress on the State Finances due to slow down in global economy, fluctuating trend in petroleum (Crude Oil) prices and additional expenditure due to various challenges. Major challenges are as follows:

(i) The growth rate of the revenue receipts of the State is decreasing, which fell from 16.77% in the year 2017-18 to 1.63% in the year 2019-20. The non-tax revenue of the State is also decreasing.

(ii) Due to change in the sharing pattern from financial year 2015-16 of Centrally Sponsored Schemes from 100% or 75:25 to 60:40 or 50:50 of the Central and the State, there is a reduction in receipts to the State and followed by additional expenditure on account of increased state share. Besides, Government of India

has also restructured some of the Centrally Sponsored Schemes like Pradhan Mantri Awas Yojna etc. which has led to additional burden on the State Government.

(iii) The annual expenditure on Social Security Pension is increasing every year, which is more than double in financial year 2019-20 over financial year 2015-16.

(iv) The annual interest burden of the debt liability of DISCOMs taken over during 2015-16 and 2016-17 by the State Government under Ujwal Discom Assurance Yojna (UDAY) comes to around Rs. 5000 crore.

(v) Due to Covid-19, additional expenditure on medical facilities and relief to affected families and children has caused additional burden on State Finances.

8. Principal Secretary, Finance, during discussion, has also submitted that Covid-19 pandemic has adversely affected the economy of the State. The Government has to incur additional expenditure on medical infrastructure, medicines, help to the migrants and other needy people of the State whereas there has been a substantial decline in the State's tax and non-tax revenue as well as share in central taxes/grants. Therefore, the Commission is requested to keep in view the overall financial position of the State while making recommendations for devolution of funds to the local bodies.

Approach and recommendations

9. Under the Terms of Reference, it is enjoined upon the Commission to determine the share of Panchayati Raj Institutions and Urban Local Bodies of the net proceeds of taxes,

duties, tolls and fees leviable by the State Government. It would be pertinent to mention that the Fifth State Finance Commission had recommended devolution of 8.50% of net proceeds of own tax revenue of the State to Panchayati Raj Institutions and Urban Local Bodies and the distribution of the amount between them in the ratio of 70 : 30 respectively in its final report. But, the State Government agreed to 7.182% share for the devolution of funds between Panchayati Raj Institutions and Urban Local Bodies in the ratio of 75.1:24.9 respectively in the Action Taken Report submitted before the Rajasthan Legislative Assembly.

10. In light of the functions already assigned to local bodies, the assessment of actual requirement of funds for them is yet to take place. The State Government agreed to 7.182% of State's net own tax revenue for devolution of funds to the local bodies for the Fifth State Finance Commission period. The State Government vide memorandum submitted to the Commission has urged that resources of the State should not be viewed in isolation and a holistic view should be taken keeping in view the resources with the State for developmental expenditure. The State Government has also requested to keep in view the total grant available to local bodies as per the recommendations of Fifteenth Central Finance Commission. Therefore, taking into consideration the financial position of the State as indicated at paras 6, 7 & 8 and extraordinary circumstances arose due to spread of Covid-19 pandemic, the Commission is of the view that the State Government has to incur huge expenditure on medical and health and other infrastructure/activities, on the

one hand and the revenue of the State is dwindling on the other. Therefore, it seems appropriate to recommend 6.75% of State's net own tax revenue for devolution of funds to local bodies (urban and rural) for the financial years 2020-21 and 2021-22. The distribution of funds between Panchayati Raj Institutions and Urban Local Bodies is recommended in the same ratio i.e. 75.1:24.9 (based on population as per Census 2011) as agreed by the State Government on the recommendations of the Fifth State Finance Commission.

11. At the time of constitution of Sixth State Finance Commission, the Revised Estimates for the financial year 2020-21 and Budget Estimates for the financial year 2021-22 have already been approved by the Rajasthan Legislative Assembly. Subsequently the Accountant General (A&E), Rajasthan has released the supplementary accounts for the month of March 2021, showing the provisional figures of Rs. 60283.43 crore for State's own tax revenue for the financial year 2020-21. Finance Department in its memorandum has also indicated the same figures. Therefore, the provisional figures for financial year 2020-21 and the budgeted figures for the financial year 2021-22 of the State's own tax revenue have been adopted for quantifying the divisible pool. Accordingly, the State's net own tax revenue for the financial years 2020-21 and 2021-22 works out as follows:

(Rs. in crore)

Particulars	2020-21 (Provisional)	2021-22 (B.E)
Own tax revenue	60283.43	90049.62
Cost of collection	2672.01	2346.26
Net own tax revenue	57611.42	87703.36

Based on above the figures of State's net own tax revenue, the devolution of funds to local bodies @6.75% for the financial years 2020-21 and 2021-22 works out to Rs. 3888.77 crore and Rs. 5919.98 crore respectively. These figures may vary as per the actual receipts.

12. Bifurcation of funds between Panchayati Raj Institutions and Urban Local Bodies on the basis of recommended population ratio (75.1:24.9) would be as under:

(Rs. in crore)

Institutions	2020-21	2021-22
Panchayati Raj Institutions	2920.47	4445.90
Urban Local Bodies	968.30	1474.08
Total	3888.77	5919.98

13. The above mentioned devolution of funds is in addition to the grants given by the State Government to Panchayati Raj Institutions and Urban Local Bodies to meet their establishment cost etc. These devolutions are provisional and subject to the recommendations of the Commission in its final report. Any release by the State Government to these local bodies against the devolution, if any, may be adjusted against the devolution made under this Interim Report.

Utilization of funds

14. The Fifth State Finance Commission earmarked funds for Basic and Development Functions, National/State Priority Schemes/ Activities and Incentives for the local bodies in its final report as follows:

Institutions	Basic and Development Functions	National/State Priority Schemes/ Activities	Incentives
Panchayati Raj Institutions	55%	40%	5%
Urban Local Bodies	75%	20%	5%

This Commission also recommends the earmarking of devolution of funds as above.

National/State Priority Schemes/Activities

15. In the present scenario, we deem it appropriate to add the 'measures to contain the spread of Covid-19' in the list of National/State Priority Schemes/Activities recommended by the Fifth State Finance Commission. The funds meant for National/State Priority Schemes/Activities can be utilized for any of these activities with first priority to 'measures to contain the spread of Covid-19'. We recommend earmarking of funds for the activities given below:

S.No.	National/State Priority Schemes/Activities
1.	Measure to contain spread of Covid-19
2.	Use of Information technology/e-governance/data bases
3.	Drinking water/Janata Jal Yojna/R.O. system
4.	Rajiv Gandhi Jal Sanchaya Yojna/Plantation
5.	Swachh Bharat Abhiyan /School Sanitation/ODF
6.	Indira Rasoi Yojna
7.	Pradhanmantri Awas Yojna-Gramin
8.	Use of Solar/LED lights
9.	Fire services
10.	Gender Sensitization – Beti Bachao – Beti Padhao
11.	Litigation Free Village/Town/crime free Villages
12.	Activities for Youth Development

In addition to above schemes/activities, the State Government, in larger public interest, may add any other scheme/activity for this purpose.

Incentive Scheme

16. We retain the incentive scheme for rural and urban local bodies as recommended by the Fifth State Finance Commission. The incentive amount at 5% works out to Rs. 146.02 crore for the financial year 2020-21 and Rs. 222.30 crore for the year 2021-22 for Panchayati Raj Institutions and Rs. 48.42 crore and Rs. 73.70 crore for the financial years 2020-21 and 2021-22 respectively for Urban Local Bodies. 3% of this grant will be payable on performance of any of the following activities/conditions:

    i. Maintenance of accounts of income and expenditure
    ii. Maintenance of records including 'Asset Register'
    iii. Increase in own revenue over previous year

    Remaining 2% of the incentive grant would be payable on the achievement of targets set out by the State Government for the implementation of schemes to address social issues or meant for empowerment of marginalized sections viz:

    i. Clean water or sanitation
    ii. Awareness and IEC for Covid-19 vaccination or achieving 90% of vaccination targets
    iii. Resolution of social problems

    This Commission considers it pragmatic and expedient that this incentive grant (5%) will be utilized on innovative

ideas/activities. The State Government may include any other innovative ideas for this purpose and may devise suitable scheme/guidelines.

Devolution to Panchayati Raj Institutions

17. The Fifth State Finance Commission recommended distribution ratio of 5:20:75 among Zila Parishads, Panchayat Samitis and Gram Panchayats respectively. The Panchayati Raj Department in its Memorandum submitted to the Commission has also requested to retain the same distribution ratio. We recommend the same ratio for distribution of funds among the three tiers of Panchayati Raj Institutions. The allocation of funds to three tiers of Panchayati Raj Institutions works out as under:

(Rs. in crore)

Devolution to Panchayati Raj Institutions	2020-21	2021-22
Out of Total Devolution of funds (6.75% of net own tax revenue of the State) share of Panchayati Raj Institutions (75.1%)	**2920.47**	**4445.90**
55 % for Basic and Development Functions	1606.26	2445.24
40% for National/State Priority Schemes/Activities	1168.19	1778.36
5% for Incentive Grant for Performance	146.02	222.30
Zila Parishads (5%)	**146.02**	**222.30**
55 % for Basic and Development Functions	80.31	122.26
40% for National/State Priority Schemes/Activities	58.41	88.92
5% for Incentive Grant for Performance	7.30	11.12
Panchayat Samitis (20%)	**584.10**	**889.18**
55 % for Basic and Development Functions	321.26	489.05
40% for National/State Priority Schemes/Activities	233.64	355.67
5% for Incentive Grant for Performance	29.20	44.46
Gram Panchayats (75%)	**2190.35**	**3334.42**
55 % for Basic and Development Functions	1204.69	1833.93
40% for National/State Priority Schemes/Activities	876.14	1333.77
5% for Incentive Grant for Performance	109.52	166.72

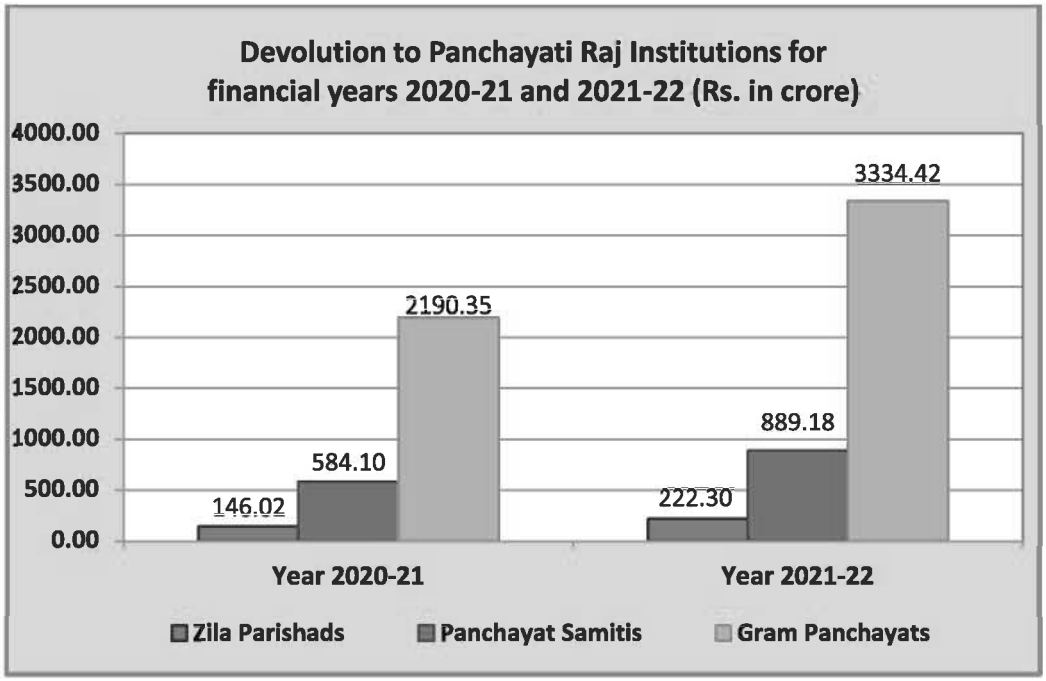

Parameters and weights for districtwise distribution for Panchayati Raj Institutions

18. We recommend to retain the parameters for districtwise inter-se distribution of funds for the Panchayati Raj Institutions adopted by the Fifth State Finance Commission which is given as follows:

S.No.	Parameters	Weights
1.	Population	40%
2.	Geographical Area	15%
3.	Child Sex Ratio	10%
4.	S.C. Population	5%
5.	S.T. Population	5%
6.	Infant Mortality Rate (IMR)	5%
7.	Girls Education	5%
8.	Decline in Decadal Population Growth	5%
9.	Deprivation on 7 criteria as per SECC-2011	10%
	Total	**100%**

19. Based on the parameters and weights recommended by us, the districtwise share and amount for the financial years 2020-21 and 2021-22 works out as under:

(Rs. in crore)

S.No.	District	Districtwise Composite Weight (%)	Districtwise Allocation	
			2020-21	2021-22
1	Ajmer	2.763	80.69	122.84
2	Alwar	4.393	128.30	195.31
3	Banswara	3.604	105.25	160.23
4	Baran	2.196	64.13	97.63
5	Barmer	4.883	142.61	217.09
6	Bharatpur	3.061	89.40	136.09
7	Bhilwara	3.538	103.33	157.30
8	Bikaner	3.914	114.31	174.01
9	Bundi	2.163	63.17	96.16
10	Chittorgarh	2.518	73.54	111.95
11	Churu	2.805	81.92	124.71
12	Dausa	2.680	78.27	119.15
13	Dholpur	1.946	56.83	86.52
14	Dungarpur	2.873	83.91	127.73
15	Ganganagar	3.128	91.35	139.07
16	Hanumangarh	2.657	77.60	118.13
17	Jaipur	4.759	138.98	211.58
18	Jaisalmer	3.181	92.90	141.42
19	Jalore	3.033	88.58	134.84
20	Jhalawar	2.359	68.89	104.88
21	Jhunjhunu	2.567	74.97	114.13
22	Jodhpur	4.404	128.62	195.80
23	Karauli	2.624	76.63	116.66
24	Kota	1.733	50.61	77.05
25	Nagaur	4.460	130.25	198.29
26	Pali	3.190	93.16	141.82
27	Pratapgarh	2.095	61.18	93.14
28	Rajsamand	1.921	56.10	85.40
29	S. Madhopur	2.268	66.24	100.83
30	Sikar	3.045	88.93	135.38
31	Sirohi	2.024	59.11	89.99
32	Tonk	2.359	68.89	104.88
33	Udaipur	4.856	141.82	215.89
	Total	**100.00**	**2920.47**	**4445.90**

Further inter-se distribution of the amount among the Panchayat Samitis and Gram Panchayats is to be made on the basis of population of the concerned Panchayat Samiti and Gram Panchayat as per Census-2011.

Devolution to Urban Local Bodies

20. The share of devolution to Urban Local Bodies works out to Rs. 968.30 crore for the financial year 2020-21 and Rs. 1474.08 crore for the financial year 2021-22. We propose to retain the same ratio for distribution of funds to three levels of Urban Local Bodies i.e. Municipal Corporations, Municipal Councils and Municipalities as was recommended by the Fifth State Finance Commission in its final report.

21. The Fifth State Finance Commission had recommended to distribute 70% of divisible share to all the Urban Local Bodies and the remaining 30% amount to the Municipalities looking to their narrow resource base and weak financial position. The Commission recommends the same distribution criterion of divisible amount among the Urban Local Bodies as under:

70 Percent: Among all Urban Local Bodies on the basis of their population (55%) and area (15%).

30 Percent: Among Municipalities on the basis of population (20%) and in proportion to deviation of five years average per capita own income of municipalities measured from

the Municipality having highest average per capita own income (10%).

While assigning weights we have adopted population figures of Census-2011.

22. Out of devolution recommended, we are earmarking 75% funds for Basic and Development Functions, 20% funds for National/State Priority Schemes/Activities and 5% funds for Incentives for Urban Local Bodies. The amount released under incentive scheme will be utilized by the Urban Local Bodies as per para 16 of this report.

23. Based on the above discussions and parameters, the share of Urban Local Bodies for the financial years 2020-21 and 2021-22 would work out as follows:

(Rs. in crore)

Categories/ Parameters	Municipal Corporation		Municipal Councils		Municipalities		Total	
	2020-21	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21	2021-22
55% on Population	233.85	356.00	143.85	219.06	154.87	235.69	532.57	810.75
15% on Area	41.86	63.72	33.01	50.26	70.37	107.13	145.24	221.11
Balance 30% for Municipalities					290.49	442.22	290.49	442.22
Total Funds	**275.71**	**419.72**	**176.86**	**269.32**	**515.73**	**785.04**	**968.30**	**1474.08**
Out of which:								
Funds for Basic and Development Functions (75%)	206.78	314.79	132.65	201.99	386.79	588.78	726.22	1105.56
Grants for National/ State Priority Schemes/Activities (20%)	55.14	83.94	35.37	53.87	103.15	157.01	193.66	294.82
Incentive Grants for Performance (5%)	13.79	20.99	8.84	13.46	25.79	39.25	48.42	73.70

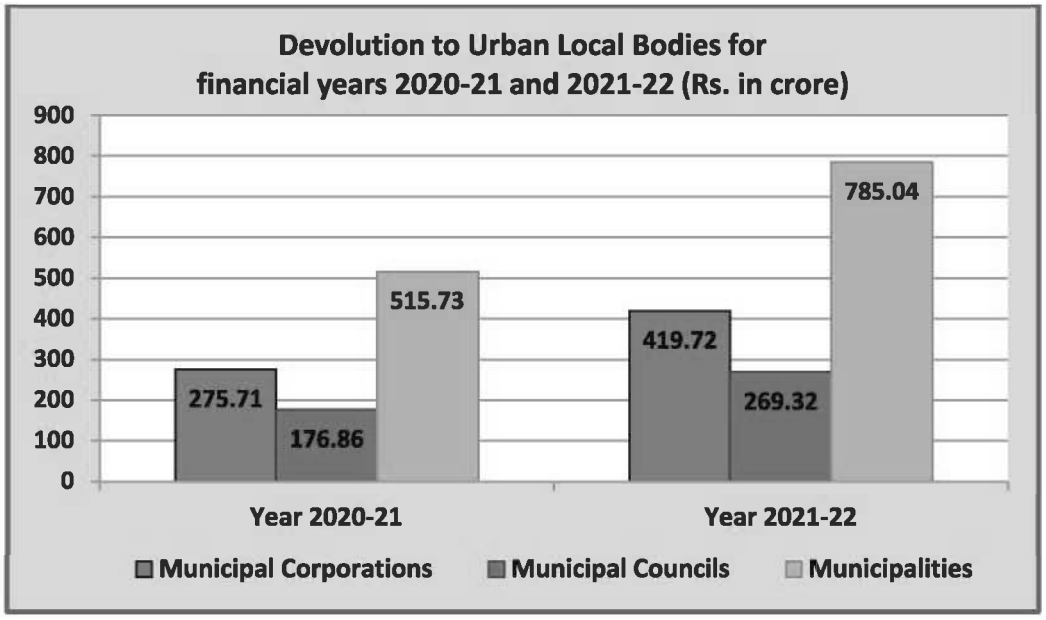

24. Some municipalities are facing problems in rendering sanitation services due to scarcity of resources. As these are basic civic services, the municipalities may meet financial requirements of these services including wage component from the grants as an interim arrangements, if required.

Fifteenth Central Finance Commission Grants

25. The Fifteenth Central Finance Commission has recommended grants for Panchayati Raj Institutions and Urban Local Bodies for the financial years 2020-21 and 2021-22 as follows:

(Rs. in crore)

Institutions	2020-21	2021-22
Panchayati Raj Institutions	3862.00	2854.00
Urban Local Bodies	1859.00	1406.00
Total	5721.00	4260.00

26. The above grants are in addition to the grants recommended by us in this report. The Commission is of the opinion and deems it appropriate that the inter-se distribution of Fifteenth Central

Finance Commission grants for local bodies is made on the basis of criteria and norms recommended by this Commission, subject to fulfillment of the conditions as laid down by the Fifteenth Central Finance Commission.

27. No funds should be spent on personal needs/requirements of any person, official or public representatives except specifically authorized by the State Government. Similarly, no funds should be spent on display advertisements, purchase of vehicle, payment of salaries and allowances to employees (other than sanitation staff and those specifically authorized) out of State Finance Commission grants.

28. Our recommendations are effective from financial year 2020-21 as mandated in the Governor's order of 12.04.2021. We would like to reiterate that these will be subject to changes as might be considered necessary in the final report.

29. As per Governor's order dated 12.04.2021, the tenure of the Commission is for one and half year. Our efforts would be to give the final report by the stipulated date. However, if our final report gets delayed due to unforeseen reasons beyond our control, we would not like the local bodies to face problems of funds. Therefore, to obviate this situation, we recommend that till our final report is implemented, the ratio of state's net own tax revenue, the share, the formula of distribution and all other parameters as recommended by this Commission in this Interim Report may remain in force for transfer of funds to these local bodies.

Summary of Recommendations

30. Summary of recommendations for financial years 2020-21 and 2021-22 is as follows:

i. 6.75% of state's net own tax revenue which works out to Rs. 3888.77 crore for the financial year 2020-21 and Rs. 5919.98 crore for the financial year 2021-22. (Para 10 and 11)

ii. The recommended amount may be divided between Panchayati Raj Institutions and Urban Local Bodies in the rural- urban population ratio of 75.1:24.9. Accordingly, the amount would work out to Rs. 2920.47 crore and Rs. 968.30 crore for the financial year 2020-21 and Rs. 4445.90 crore and Rs. 1474.08 crore for financial year 2021-22 for Panchayati Raj Institutions and Urban Local Bodies respectively. (Para 12)

iii. 55% of recommended amount may be released as funds for Basic and Development Functions, 40% for supporting National/State Priority Schemes/Activities including 'measures to contain spread of Covid-19' and 5% as Incentive grant for performance of specified tasks to Panchayati Raj Institutions. (Para 14)

iv. 75% of recommended amount may be released as funds for Basic and Development Functions, 20% for supporting National/State Priority Schemes/Activities including 'measures to contain spread of Covid-19' and 5% as

Incentive grant for performance of specified tasks to Urban Local Bodies. (Para 14)

v. The institutionwise distribution of funds among Panchayati Raj Institutions should be 5% for Zila Parishads, 20% for Panchayat Samitis and 75% for Gram Panchayats. (Para 17)

vi. The districtwise distribution of Panchayati Raj Institutions share is to be made on parameters and weights recommended. (Para 18)

vii. Out of recommended devolution to Urban Local Bodies, 70% may be distributed among all the Urban Local Bodies on the basis of their population (55%) and area (15%). Remaining 30% fund to all the Municipalities on the basis of population (20%) and in proportion to deviation of five years average per capita own income measured from the Municipality having highest average per capita own income (10%). (Para 21)

viii. The Municipalities may meet financial requirements of sanitation services including wage component from our recommended grant. (Para 24)

ix. The amount of Fifteenth Central Finance Commission grants for the financial years 2020-21 and 2021-22 may be distributed, subject to fulfillment of conditions laid down by them, to Panchayati Raj Institutions and Urban Local Bodies as per parameters and weights

recommended by the Sixth State Finance Commission. (Para 25 and 26)

x. No fund should be spent on personal needs of any person/ official/ public representatives. (Para 27)

xi. The recommendation made in this Interim Report may remain in force till our final report comes into effect. (Para 29)

(Pradhyumn Singh)
Chairman

(Dr. Laxman Singh Rawat)
Member

(Ashok Lahoti)
Member

(Banna Lal)
Member Secretary

JAIPUR,
JUNE 28, 2021

षष्टम

राज्य वित्त आयोग

राजस्थान

का

अंतरिम प्रतिवेदन

(वर्ष 2020–21 एवं 2021–22 के लिए)

जयपुर जून, 2021

षष्टम
राज्य वित्त आयोग
राजस्थान
का
अंतरिम प्रतिवेदन
(वर्ष 2020–21 एवं 2021–22 के लिए)

राज्य वित्त आयोग
प्रथम तल, बी–ब्लाक, वित्त भवन,
जनपथ, जयपुर (राज)
वेबसाईटः sfc.rajasthan.gov.in
ई–मेलः sfc-6@rajasthan.gov.in

जयपुर,
जून, 2021

षष्टम राज्य वित्त आयोग ने अपना अंतरिम प्रतिवेदन मूलरूप से अंग्रेजी भाषा में प्रस्तुत किया है। सुलभ संदर्भ हेतु यह मूल अंग्रेजी पाठ का हिन्दी अनुवाद है। यद्यपि प्रतिवेदन का अनुवाद करने में पूर्ण सावधानी रखी गई है, फिर भी हिन्दी व अंग्रेजी पाठ में कोई भी भिन्नता होने पर केवल अंग्रेजी पाठ मान्य होगा।

अंतरिम प्रतिवेदन

प्रस्तावना

1. भारत के संविधान के अनुच्छेद 243–झ और 243–म के अधीन राज्य के राज्यपाल प्रत्येक पांच वर्ष की समाप्ति के पश्चात्, राज्य में ग्रामीण और नगरीय स्थानीय निकायों की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करने और राज्य सरकार से स्थानीय (ग्रामीण और नगरीय) निकायों को कुशल और न्यायसंगत आधार पर वित्तीय संसाधनों के न्यागमन के संबंध में और पंचायती राज संस्थाओं और नगरीय स्थानीय निकायों के अंश के संबंध में भी राज्यपाल को सिफारिशें करने के लिए वित्त आयोग का गठन करेंगे। उपर्युक्त उपबंध संविधान में 73वें संशोधन अधिनियम, 1992 द्वारा (24.04.1994 से) सम्मिलित किये गये।

2. 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधनों के पारित होने से पंचायती राज संस्थाओं और नगरीय स्थानीय निकायों ने विधिक रूप से आज्ञापक प्रास्थिति अर्जित कर ली है और इस प्रकार लोगों को प्रत्यक्ष प्रजातंत्र में भागीदारी का अवसर प्रदान करके स्थानीय निकायों को विभिन्न कार्य प्रत्यायोजित करके प्रजातांत्रिक विकेन्द्रीकरण का मार्ग प्रशस्त हुआ है। केन्द्रीय और राज्य वित्त आयोगों ने तब से वित्तीय विकेन्द्रीकरण में अपनी भूमिका प्रभावी रूप से निभायी है। पंद्रहवें केन्द्रीय वित्त आयोग और पांचवें राज्य वित्त आयोग ने स्थानीय निकायों को बढ़े हुए वित्तीय न्यागमन के लिए अपनी सिफारिशें दी हैं। षष्टम राज्य वित्त आयोग के गठन से शासन के तीसरे स्तर को और सुदृढ करने पर विचार होगा।

3. भारत के संविधान के अनुच्छेद 243–झ और 243–म के उपबंधों के अनुसरण में षष्टम राज्य वित्त आयोग का गठन महामहिम राज्यपाल, राजस्थान की अधिसूचना सं. एफ6(1)एफडी/एफसी एंड ईएडी/एसएफसी/2019 दिनांक 12.04.2021 द्वारा इस आज्ञा के साथ किया गया है कि वह अपना प्रतिवेदन एक वर्ष छह माह के भीतर दे। वे विषय, जिन पर आयोग से सिफारिशें करने की अपेक्षा की गई है, निर्देश निबंधनों में उपवर्णित हैं और मोटे रूप से वही हैं जो पांचवें राज्य

वित्त आयोग को दिये गये हैं। आयोग को सभी स्तरों की पंचायती राज संस्थाओं और नगरीय स्थानीय निकायों की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन कर उन सिद्धान्तों के बारे में सिफारिशें करने की आज्ञा दी गयी है, जिनसे राज्य और पंचायती राज संस्थाओं और नगरीय स्थानीय निकायों की सभी स्तरों के बीच इन संस्थाओं को दिये जाने वाले कर इत्यादि के शुद्ध आगम और अनुदान शासित होंगे। आयोग से स्थानीय शासनों की वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए आवश्यक उपायों का सुझाव देने की भी प्रत्याशा की गई है। इसके अतिरिक्त, आयोग से स्थानीय निकायों से ऑनलाइन लेखा संधारण पद्धति, वित्तीय डेटाबेस का एकीकृत वित्तीय प्रबंधन (आईएफएमएस) पद्धति से उचित संबद्धता की प्रणाली और सेवाओं के प्रदान की गति, दक्षता एवं कम लागत की आवश्यकता से संगत बेहतर राजवित्तीय प्रबंधन के लिए उपाय सुझाने के लिए भी कहा गया है।

4. राज्य वित्त आयोग का गठन हाल ही में किया गया है किन्तु सूचना एकत्र करने में विलंब से बचने के लिए राज्य सरकार ने स्थानीय निकायों और संबंधित कार्यालयों से सुसंगत सूचना एकत्रित करने के लिए जनवरी, 2021 में विशेषाधिकारी, राज्य वित्त आयोग नियुक्त किया। आधारभूत सूचना एकत्र करने के लिए पंचायती राज संस्थाओं और नगरीय स्थानीय निकायों के प्रत्येक स्तर के लिए प्रश्नावलियां परिकल्पित की गयी और प्रश्नावली का उत्तर और अन्य सुसंगत सूचना देने के अनुरोध के साथ उनको भेजी गई। सूचना के त्वरित संग्रहण के लिए नियमित स्मरणपत्र भी उन्हें भेजे गये, किन्तु महामारी कोविड–19 के कारण और अन्य कारणों से अधिकांश निकायों से अभी सूचना प्राप्त होनी है। संबंधित प्रशासनिक सचिवों/आयुक्तों/निदेशकों से भी समय पर सूचना प्रेषित कराने का अनुरोध किया गया है। कुछ सहायक स्टाफ और संभारी समर्थन (लॉजिस्टिक सपोर्ट) अप्रैल, 2021 में स्वीकृत किए गए जिसे महामारी कोविड–19 और लॉकडाउन के कारण कार्यशील नहीं किया जा सका। चूंकि राज्य वित्त आयोग का हाल ही में गठन किया गया है और महामारी कोविड–19 के कारण अभी पूर्ण रूप से कार्यशील होना है, पंचायती राज संस्थाओं और नगरीय स्थानीय निकायों के लिए निधियों की आवश्यकताओं के उचित निर्धारण

में कुछ और समय लगेगा। इतने कम समय में इन संस्थाओं के लिए निधियों की वास्तविक रूप से आवश्यकताओं का अभिनिश्चयन करना संभव नहीं है। आयोग पंचायती राज संस्थाओं और नगरीय स्थानीय निकायों के सभी हितधारकों से विस्तार से विचार–विमर्श करना चाहता है। जैसा कि हम जानते हैं, शासन का तीसरा स्तर स्थानीय प्रजातंत्र का महत्वपूर्ण अंग है, अतः इन निकायों को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। ये स्थानीय निकाय केवल वित्तीय आत्मनिर्भरता से सशक्त होंगे। आयोग अतिरिक्त संसाधन जुटाने के लिए इन निकायों से विस्तार से विचार–विमर्श करेगा और इसके लिए अपेक्षित उपायों पर मनन करेगा। स्थानीय निकाय (नगरीय और ग्रामीण) अपने स्वयं के राजस्व संसाधनों के संघटन, राज्य सरकार द्वारा निधियों के निर्देशात्मक और समुचित न्यागमन, लोक सेवाएं प्रदान करने तथा लोक व्यय में उत्तरदायित्व और शासन के सभी स्तरों में पारदर्शिता और जवाबदेही के द्वारा शासन को सुदृढ़ किया जा सकता है। स्थानीय निकायों (नगरीय और ग्रामीण) को नागरिकों को प्रदान की जाने वाली आधारभूत सेवाओं के स्तर के बेंचमार्क प्रकाशित करने चाहिए। इन स्थानीय निकायों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के पर्यवेक्षण करने का पारदर्शी तंत्र होना चाहिए जिससे पदाभिहित अधिकारी नियत समयावधि में सेवाओं के प्रदान को सुनिश्चित कर सके, जैसा कि राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2011 में विहित है। आयोग देश के अन्य राज्यों की सर्वोत्तम पद्धतियों का भी अध्ययन करेगा और अन्य राज्यों में अपने समकक्षों से बातचीत करेगा। वित्तीय संव्यहारों में उत्तरदायित्व और पारदर्शिता भी समान रूप से महत्वपूर्ण हैं। इस प्रकार, सभी हितधारकों से विस्तृत विचार–विमर्श और परस्पर बातचीत के पश्चात् आयोग इस बारे में यथोचित क्रियाविधि तंत्र तैयार करने के बारे में सुझाव देना चाहेगा।

5. संविधान के उपबंध के अनुसार, स्थानीय निकायों को निधियां केवल राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों पर निर्मुक्त की जा सकती हैं। स्थानीय निकायों (नगरीय और ग्रामीण) को और वित्तीय कठिनाइयों से बचाने के लिए विकास एवं नागरिक सेवाएं समय पर आरम्भ करने हेतु उन्हें अनुमत करने के लिए राज्य सरकार द्वारा

आयोग से डी.ओ. पत्र एफ6(1)एफडी/एफसी और ईएडी/एसएफसी/ 2019 दिनांक 18.05.2021 द्वारा वित्तीय वर्ष 2020–21 और 2021–22 के लिए अंतरिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया है। अपने अंतरिम प्रतिवेदन को अंतिम रूप देने के पूर्व आयोग संबंधित विभागों अर्थात् ग्रामीण विकास और पंचायती राज, स्वायत्त शासन और वित्त विभाग के मंत्रियों से विमर्श करना चाहता था। तथापि, ये बैठकें कोविड–19 महामारी के प्रसार के कारण आयोजित नहीं हो सकी। किन्तु प्रमुख शासन सचिव, वित्त के साथ राज्य वित्त पर विमर्श करने के लिए दिनांक 14 जून, 2021 को वर्चुअल बैठक आयोजित की गयी। तदनुसार, आयोग सरकार द्वारा यथावांछित वित्तीय वर्ष 2020–21 और 2021–22 के लिए अपना अंतरिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर रहा है।

राज्य वित्त

6. वित्त विभाग ने आयोग को प्रस्तुत अपने ज्ञापन में उपदर्शित किया है कि राज्य का कुल व्यय वित्तीय वर्ष 2014–15 में 116305.48 करोड़ रुपये था जो वित्तीय वर्ष 2019–20 में बढ़कर 213491.02 करोड़ रुपये हो गया। वहीं दूसरी ओर राजस्व प्राप्तियां वित्तीय वर्ष 2014–15 में 91326.91 करोड़ रुपये थी जो वित्तीय वर्ष 2019–20 में बढ़कर 140113.81 करोड़ रुपये हो गयीं, जिससे यह प्रकट होता है कि कुल व्यय में वृद्धि 83 प्रतिशत है जबकि राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि केवल 53 प्रतिशत है। राजस्व व्यय भी वित्तीय वर्ष 2014–15 में 94591.97 करोड़ रुपये था जो वित्तीय वर्ष 2019–20 में बढ़कर 176485.10 करोड़ रुपये हो गया जो इस कालावधि के दौरान 86.67 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। राज्य सरकार ने अनुरोध किया है कि राजस्व व्यय का प्रमुख घटक प्रतिबद्ध प्रकृति का है जिसे घटाया या आस्थगित नहीं किया जा सकता है। ज्ञापन में आगे उल्लेख है कि राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान अपनी कुल प्राप्तियों का 109. 54 प्रतिशत अत्यावश्यक व्यय जैसे वेतन और मजदूरी (35.02 प्रतिशत), पेंशन (14.82 प्रतिशत), ब्याज (16.87 प्रतिशत) और विभिन्न संस्थाओं को सहायता अनुदान/सहायिकी इत्यादि (42.83 प्रतिशत) पर खर्च किया है। ऐसी स्थिति में राज्य सरकार को विकासात्मक व्यय के लिए उधार लेना पड़ता है और

परिणामतः राज्य की उधार लेने की आवश्यकता दिन–प्रतिदिन बढ़ती जा रही है जिससे राज्य पर ब्याज दायित्व बढ़ता जा रहा है। राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध अधिनियम (एफआरबीएम एक्ट) के अनुसार राज्य को सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 3 प्रतिशत तक कुल शुद्ध उधार की अनुज्ञा है, तथापि, कोविड–19 महामारी के कारण भारत सरकार ने वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 2 प्रतिशत अतिरिक्त उधार के लिए अनुज्ञात किया है। वित्तीय वर्ष 2021–22 और 2022–23 के लिए पंद्रहवें वित्त आयोग ने सकल राज्य घरेलू उत्पाद की क्रमशः 4 प्रतिशत और 3.5 प्रतिशत शुद्ध उधार सीमा की सिफारिश की है।

7. वित्त विभाग ने निवेदन किया है कि वैश्विक अर्थ व्यवस्था में मंदी, पैट्रोलियम (कच्चे तेल) की कीमतों में उतार–चढ़ाव की प्रवृत्ति और विभिन्न चुनौतियों के कारण हुए अतिरिक्त व्यय के कारण राज्य वित्त पर सतत दबाव है। प्रमुख चुनौतियां निम्नलिखित हैंः–

(i) राज्य की राजस्व प्राप्तियों की वृद्धि दर वर्ष 2017–18 में 16.77 प्रतिशत थी, जो गिरकर वर्ष 2019–20 में 1.63 प्रतिशत रह गयी। राज्य का गैर–कर राजस्व भी घटता जा रहा है।

(ii) वित्तीय वर्ष 2015–16 से केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं का केन्द्र और राज्य के शेयरिंग पैटर्न 100 प्रतिशत या 75:25 से 60:40 या 50:50 में परिवर्तित होने के कारण राज्य की प्राप्तियों में कमी हुई है और बढ़े हुए राज्यांश के कारण अतिरिक्त व्यय हुआ है। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार ने प्रधान मंत्री आवास योजना इत्यादि जैसी कुछ केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं की पुनः संरचना की है जिससे राज्य सरकार पर अतिरिक्त भार पड़ा है।

(iii) सामाजिक सुरक्षा पेंशन पर वार्षिक व्यय प्रति वर्ष बढ़ता जा रहा है जो वित्तीय वर्ष 2015–16 के मुकाबले वित्तीय वर्ष 2019–20 में दुगुने से ज्यादा हो गया है।

(iv) उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय) के अधीन राज्य सरकार द्वारा 2015–16 और 2016–17 के दौरान विद्युत वितरण कम्पनियों के ऋण दायित्व को टेक ओवर के कारण वार्षिक ब्याज का भार लगभग 5000 करोड़ रुपये है।

(v) कोविड–19 के कारण चिकित्सीय सुविधाओं और प्रभावित परिवारों और बच्चों को राहत पर अतिरिक्त व्यय से राज्य वित्त पर अतिरिक्त भार पड़ा है।

8. प्रमुख शासन सचिव, वित्त ने चर्चा के दौरान यह अनुरोध भी किया है कि कोविड–19 महामारी से राज्य की अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। सरकार को चिकित्सीय अवसंरचना, दवाओं, प्रवासियों और राज्य के अन्य जरूरतमंदों को सहायता प्रदान करने पर अतिरिक्त व्यय वहन करना पड़ा है जबकि राज्य के कर और गैर–कर राजस्व के साथ ही केन्द्रीय करों/अनुदानों के हिस्से में काफी कमी हुई है। इसलिए, आयोग से स्थानीय निकायों को निधियों के न्यागमन की सिफारिश करते समय राज्य की समग्र वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखने का अनुरोध किया गया है।

दृष्टिकोण और सिफारिशें

9. निर्देश निबंधन के अधीन, आयोग राज्य सरकार द्वारा उद्ग्रहणीय करों, शुल्कों, पथकरों और फीसों के शुद्ध आगमों में पंचायती राज संस्थाओं और नगरीय स्थानीय निकायों का अंश अवधारित करने के लिए आदिष्ट है। यह उल्लेख करना उचित होगा कि पांचवें राज्य वित्त आयोग ने अपने अंतिम प्रतिवेदन में राज्य के स्वयं के कर राजस्व के शुद्ध आगमों का 8.50 प्रतिशत पंचायती राज संस्थाओं और नगरीय स्थानीय निकायों को न्यागमन और उनके बीच क्रमशः 70:30 अनुपात में राशि के वितरण की सिफारिश की थी। किन्तु, राज्य सरकार राजस्थान विधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किए गए कार्रवाई प्रतिवेदन में 7.182 प्रतिशत अंश पंचायती राज संस्थाओं और नगरीय स्थानीय निकायों के बीच न्यागमन और उनके बीच क्रमशः 75.1: 24.9 के अनुपात के लिए सहमत हुई।

10. स्थानीय निकायों को पहले से समनुदिष्ट कार्यों को दृष्टिगत रखते हुए, उनके लिए निधियों की वास्तविक आवश्यकता का निर्धारण अभी किया जाना है। राज्य सरकार पांचवें राज्य वित्त आयोग की कालावधि के लिए स्थानीय निकायों को निधियों के न्यागमन के लिए राज्य के स्वयं के शुद्ध कर राजस्व के 7.182 प्रतिशत के लिए सहमत हुई। राज्य सरकार ने आयोग को प्रस्तुत ज्ञापन द्वारा अनुरोध किया है कि राज्य के विकासात्मक व्यय को दृष्टिगत रखते हुए संसाधनों को एकाकी रूप से न देखकर समग्र दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए। राज्य सरकार ने पंद्रहवें केन्द्रीय वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार स्थानीय निकायों को उपलब्ध कुल अनुदान को भी ध्यान में रखने का अनुरोध किया है। इसलिए, पैरा 6, 7 और 8 में यथाउपदर्शित राज्य की वित्तीय स्थिति और कोविड–19 महामारी के प्रसार के कारण उद्भूत असाधारण परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आयोग का यह दृष्टिकोण है कि एक ओर राज्य सरकार को चिकित्सा और स्वास्थ्य और अन्य अवसंरचना/क्रियाकलापों पर अधिक व्यय उपगत करना पड़ा है और दूसरी ओर राज्य का राजस्व भी कम होता जा रहा है। इसलिए, वित्तीय वर्ष 2020–21 और 2021–22 के लिए स्थानीय निकायों (नगरीय और ग्रामीण) को निधियों के न्यागमन के लिए राज्य के स्वयं के शुद्ध कर राजस्व के 6.75 प्रतिशत की सिफारिश करना समुचित प्रतीत होता है। पंचायती राज संस्थाओं और नगरीय स्थानीय निकायों के बीच निधियों के वितरण की सिफारिश उसी अनुपात 75.1:24.9 (जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या पर आधारित) में की गई है, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा पांचवें राज्य वित्त आयोग की सिफारिश पर तय किया गया।

11. षष्टम राज्य वित्त आयोग के गठन के समय, वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए पुनरीक्षित प्राक्कलन और वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए बजट प्राक्क्लन राजस्थान विधान सभा द्वारा पहले ही अनुमोदित कर दिये गये हैं। महालेखाकार (लेखा एवं हक), राजस्थान ने मार्च, 2021 के लिए अनुपूरक लेखे निर्मुक्त कर दिये हैं जिनमें वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए राज्य के स्वयं के कर राजस्व के लिए अनंतिम आंकड़े 60283.43 करोड़ रुपये दर्शित हैं। वित्त विभाग ने भी यही

आंकड़ें उपदर्शित किये हैं। इसलिए राज्य के स्वयं के कर राजस्व के वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए अनंतिम आंकड़ें और वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए बजट आंकड़े विभाज्य पूल परिमाणित करने के लिए अंगीकृत किये गये हैं। तदनुसार, वित्तीय वर्ष 2020–21 और 2021–22 के लिए राज्य का स्वयं का शुद्ध कर राजस्व की गणना निम्न प्रकार से हैः

(करोड़ रुपये में)

विशिष्टियां	2020–21 (अनंतिम)	2021–22 (बजट प्राक्कलन)
स्वयं का कर राजस्व	60283.43	90049.62
संग्रहण लागत	2672.01	2346.26
स्वयं का शुद्ध कर राजस्व	57611.42	87703.36

राज्य के स्वयं के शुद्ध कर राजस्व के आंकड़ों के आधार पर, स्थानीय निकायों को निधियों का न्यागमन वित्तीय वर्ष 2020–21 और 2021–22 के लिए 6.75 प्रतिशत की दर से क्रमशः 3888.77 करोड़ रुपये और 5919.98 करोड़ रुपये होता है। इन आंकड़ों में वास्तविक प्राप्तियों के अनुसार परिवर्तन हो सकता है।

12. पंचायती राज संस्थाओं और नगरीय स्थानीय निकायों के बीच निधियों का विभाजन सिफारिश किये गये जनसंख्या अनुपात (75.1:24.9) के आधार पर निम्न प्रकार होगाः–

(करोड़ रुपये में)

संस्थाएं	2020–21	2021–22
पंचायती राज संस्थाएं	2920.47	4445.90
नगरीय स्थानीय निकाय	968.30	1474.08
कुल	3888.77	5919.98

13. निधियों का ऊपर उल्लिखित न्यागमन पंचायती राज संस्थाओं और नगरीय स्थानीय निकायों को उनके संस्थापन व्यय इत्यादि की पूर्ति करने के लिए राज्य सरकार द्वारा दिये गये अनुदानों के अतिरिक्त होगा। ये न्यागमन अनंतिम हैं और

आयोग के अपने अंतिम प्रतिवेदन की सिफारिशों के अध्यधीन होंगे। न्यागमन के विरूद्ध इन स्थानीय निकायों को राज्य सरकार द्वारा कोई भी निर्मुक्ति, यदि कोई हो, इस प्रतिवेदन के अधीन किये गये न्यागमन के पेटे समायोजित की जायेगी।

निधियों का उपयोग

14. पांचवें राज्य वित्त आयोग ने अपने अंतिम प्रतिवेदन में आधारभूत और विकासात्मक कार्यों, राष्ट्रीय/ राज्य प्राथमिकता स्कीमों/क्रियाकलापों और स्थानीय निकायों के प्रोत्साहन के लिए निर्धारित की गयी निधियां निम्न प्रकार हैं:–

संस्थाएं	आधारभूत और विकासात्मक कार्य	राष्ट्रीय/राज्य प्राथमिकता स्कीमें/ क्रियाकलाप	प्रोत्साहन
पंचायती राज संस्थाएं	55 प्रतिशत	40 प्रतिशत	5 प्रतिशत
नगरीय स्थानीय निकाय	75 प्रतिशत	20 प्रतिशत	5 प्रतिशत

यह आयोग भी निधियों के न्यागमन का उपर्युक्तानुसार निश्चयन करने की सिफारिश करता है।

राष्ट्रीय/राज्य प्राथमिकता स्कीमें/क्रियाकलाप

15. वर्तमान परिदृश्य में हम पांचवें राज्य वित्त आयोग द्वारा सिफारिश की गयी राष्ट्रीय/ राज्य प्राथमिकता स्कीमों/क्रियाकलापों की सूची में कोविड–19 के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए उपाय जोड़ना समुचित समझते हैं। राष्ट्रीय/राज्य प्राथमिकता स्कीमों/क्रियाकलापों के लिए अभिप्रेत निधियों का उपयोग कोविड–19 के प्रसार को नियंत्रित करने के उपायों को प्राथमिकता देते हुए इन किन्हीं भी क्रियाकलापों पर किया जा सकता है। हम निम्नलिखित क्रियाकलापों के लिए निधियों के निश्चयन की सिफारिश करते हैं:–

क्र.सं.	राष्ट्रीय/राज्य प्राथमिकता स्कीमें/क्रियाकलाप
1.	कोविड–19 के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए उपाय
2.	सूचना प्रौद्योगिकी/ई–गवर्नेंस/डेटा बेस
3.	पेय जल, जनता जल योजना/आर. ओ. प्रणाली
4.	राजीव गांधी जल संचय योजना/वृक्षारोपण
5.	स्वच्छ भारत अभियान/विद्यालय स्वच्छता/ओडीएफ
6.	इन्दिरा रसोई योजना
7.	प्रधान मंत्री आवास योजना–ग्रामीण
8.	सौर/एलईडी लाईट का उपयोग
9.	अग्निशमन सेवाएं
10.	लिंग संवेदनशीलता–बेटी बचाओ–बेटी पढ़ाओ
11.	मुकदमेबाजी से मुक्त गांव/कस्बे/अपराध मुक्त गांव
12.	युवा विकास के लिए क्रियाकलाप

उपर्युक्त स्कीमों/क्रियाकलापों के अतिरिक्त, राज्य सरकार व्यापक जन हित में इस प्रयोजन के लिए कोई भी अन्य स्कीम/क्रियाकलाप जोड़ सकती है।

प्रोत्साहन स्कीम

16. हम ग्रामीण और नगरीय स्थानीय निकायों के लिए पांचवें राज्य वित्त आयोग द्वारा सिफारिश की गयी प्रोत्साहन स्कीम को जारी रखते हैं। 5 प्रतिशत की दर से प्रोत्साहन राशि पंचायती राज संस्थाओं के लिए वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए 146.02 करोड़ रुपये और वर्ष 2021–22 के लिए 222.30 करोड़ रुपये और नगरीय स्थानीय निकायों के लिए वित्तीय वर्ष 2020–21 और 2021–22 के लिए क्रमशः 48.42 करोड़ रुपये और 73.70 करोड़ रुपये होती है। इस अनुदान का 3 प्रतिशत निम्नलिखित क्रियाकलापों/शर्तों में से किन्हीं के भी निष्पादन पर संदेय होगाः–

(i) आय–व्यय लेखों का रख–रखाव

(ii) अभिलेखों का रख–रखाव, जिसमें ''आस्तियां रजिस्टर'' सम्मिलित है

(iii) स्वयं के राजस्व में पूर्व वर्ष की तुलना में अधिक वृद्धि

प्रोत्साहन अनुदान का शेष 2 प्रतिशत सामाजिक मुद्दों पर ध्यान दिलाने या उपेक्षित वर्गों के सशक्तीकरण के लिए अभिप्रेत स्कीमों के क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति पर संदेय होगा, यथाः–

(i) स्वच्छ जल या स्वच्छता

(ii) कोविड–19 टीकाकरण के लिए जागरुकता और आईईसी या 90 प्रतिशत टीकाकरण लक्ष्य प्राप्त करना

(iii) सामाजिक समस्याओं का समाधान

यह आयोग यह व्यावहारिक और समीचीन समझता है कि इस प्रोत्साहन अनुदान (5 प्रतिशत) का उपयोग नवाचार योजनाओं/क्रियाकलापों पर किया जायेगा। राज्य सरकार इस प्रयोजन के लिए किन्हीं भी अन्य नवाचार योजनाओं को सम्मिलित कर सकेगी और यथोचित स्कीम/दिशानिर्देश जारी कर सकेगी।

पंचायती राज संस्थाओं को न्यागमन

17. पांचवें राज्य वित्त आयोग ने जिला परिषदों, पंचायत समितियों और ग्राम पंचायतों के बीच क्रमशः 5:20:75 के अनुपात में वितरण की सिफारिश की थी। पंचायती राज विभाग ने भी आयोग को प्रस्तुत अपने ज्ञापन में यही वितरण अनुपात रखने का अनुरोध किया है। हम पंचायती राज संस्थाओं के तीनों स्तरों के बीच निधियों के वितरण के लिए इसी अनुपात की सिफारिश करते हैं। पंचायती राज संस्थाओं के तीनों स्तरों को निधियों का आवंटन निम्न प्रकार हैः–

(करोड़ रुपये में)

पंचायती राज संस्थाओं को न्यागमन	**2020–21**	**2021–22**
निधियों के कुल न्यागमन में से (राज्य के स्वयं के शुद्ध कर राजस्व का 6.75 प्रतिशत) पंचायती राज संस्थाओं का अंश (75.1 प्रतिशत)	**2920.47**	**4445.90**
आधारभूत और विकासात्मक कार्यों के लिए 55 प्रतिशत	1606.26	2445.24
राष्ट्रीय/राज्य प्राथमिकता स्कीमों/क्रियाकलापों के लिए 40 प्रतिशत	1168.19	1778.36
निष्पादन के लिए प्रोत्साहन अनुदान 5 प्रतिशत	146.02	222.30
जिला परिषद् (5 प्रतिशत)	**146.02**	**222.30**
आधारभूत और विकासात्मक कार्यों के लिए 55 प्रतिशत	80.31	122.26
राष्ट्रीय/राज्य प्राथमिकता स्कीमों/क्रियाकलापों के लिए 40 प्रतिशत	58.41	88.92
निष्पादन के लिए प्रोत्साहन अनुदान 5 प्रतिशत	7.30	11.12
पंचायत समिति (20 प्रतिशत)	**584.10**	**889.18**
आधारभूत और विकासात्मक कार्यों के लिए 55 प्रतिशत	321.26	489.05
राष्ट्रीय/राज्य प्राथमिकता स्कीमों/क्रियाकलापों के लिए 40 प्रतिशत	233.64	355.67
निष्पादन के लिए प्रोत्साहन अनुदान 5 प्रतिशत	29.20	44.46
ग्राम पंचायत (75 प्रतिशत)	**2190.35**	**3334.42**
आधारभूत और विकासात्मक कार्यों के लिए 55 प्रतिशत	1204.69	1833.93
राष्ट्रीय/राज्य प्राथमिकता स्कीमों/क्रियाकलापों के लिए 40 प्रतिशत	876.14	1333.77
निष्पादन के लिए प्रोत्साहन अनुदान 5 प्रतिशत	109.52	166.72

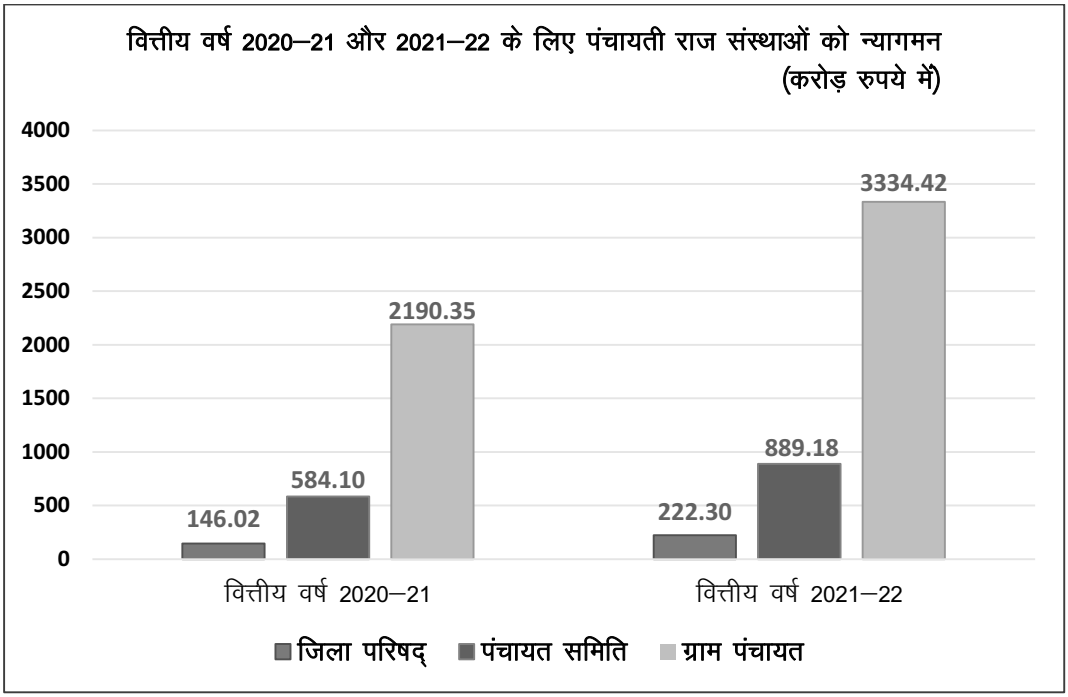

पंचायती राज संस्थाओं के लिए जिलेवार वितरण के लिए मानदंड और वरीयता

18. हम पंचायती राज संस्थाओं के लिए निधियों के जिलेवार पारस्परिक वितरण के लिए उन्हीं मानदंडों को बनाये रखते हैं जो पांचवें राज्य वित्त आयोग ने अंगीकार किये जो निम्न प्रकार हैं:–

क्र.सं.	मानदंड	वरीयता
1.	जनसंख्या	40 प्रतिशत
2.	भौगोलिक क्षेत्रफल	15 प्रतिशत
3.	शिशु लिंग अनुपात	10 प्रतिशत
4.	अनुसूचित जाति जनसंख्या	5 प्रतिशत
5.	अनुसूचित जनजाति जनसंख्या	5 प्रतिशत
6.	शिशु मृत्यु दर (आईएमआर)	5 प्रतिशत
7.	बालिका शिक्षा	5 प्रतिशत
8.	दशकीय जनसंख्या वृद्धि में कमी	5 प्रतिशत
9.	सामाजिक, आर्थिक और जातिगत जनगणना–2011 के अनुसार 7 मानदंडों पर वंचन	10 प्रतिशत
	कुल	**100 प्रतिशत**

19. हमारे द्वारा सिफारिश किये गये मानदंडों और वरीयताओं के आधार पर, वित्तीय वर्ष 2020–21 और 2021–22 के लिए जिलेवार अंश और राशि निम्न प्रकार हैः–

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	जिला	जिलेवार समग्र वरीयता (%)	जिलेवार आवंटन	
			2020–21	2021–22
1.	अजमेर	2.763	80.69	122.84
2.	अलवर	4.393	128.30	195.31
3.	बांसवाड़ा	3.604	105.25	160.23
4.	बारां	2.196	64.13	97.63
5.	बाड़मेर	4.883	142.61	217.09
6.	भरतपुर	3.061	89.40	136.09
7.	भीलवाड़ा	3.538	103.33	157.30
8.	बीकानेर	3.914	114.31	174.01
9.	बूंदी	2.163	63.17	96.16
10.	चित्तौड़गढ़	2.518	73.54	111.95
11.	चुरू	2.805	81.92	124.71
12.	दौसा	2.680	78.27	119.15
13.	धौलपुर	1.946	56.83	86.52
14.	डूंगरपुर	2.873	83.91	127.73
15.	गंगानगर	3.128	91.35	139.07
16.	हनुमानगढ़	2.657	77.60	118.13
17.	जयपुर	4.759	138.98	211.58
18.	जैसलमेर	3.181	92.90	141.42
19.	जालौर	3.033	88.58	134.84
20.	झालावाड़	2.359	68.89	104.88
21.	झुन्झुनूं	2.567	74.97	114.13
22.	जोधपुर	4.404	128.62	195.80
23.	करौली	2.624	76.63	116.66
24.	कोटा	1.733	50.61	77.05
25.	नागौर	4.460	130.25	198.29
26.	पाली	3.190	93.16	141.82
27.	प्रतापगढ़	2.095	61.18	93.14
28.	राजसमंद	1.921	56.10	85.40
29.	सवाई माधोपुर	2.268	66.24	100.83
30.	सीकर	3.045	88.93	135.38
31.	सिरोही	2.024	59.11	89.99
32.	टोंक	2.359	68.89	104.88
33.	उदयपुर	4.856	141.82	215.89
कुल		**100.00**	**2920.47**	**4445.90**

आगे पंचायत समितियों और ग्राम पंचायतों के बीच राशि का पारस्परिक वितरण जनगणना–2011 के अनुसार संबंधित पंचायत समिति और ग्राम पंचायत की जनसंख्या के आधार पर किया जाना है।

नगरीय स्थानीय निकायों को न्यागमन

20. नगरीय स्थानीय निकायों को न्यागमन का अंश वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए 968.30 करोड़ रुपये और वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए 1474.08 करोड़ रुपये होता है। हम नगरीय स्थानीय निकायों अर्थात् नगर निगमों, नगर परिषदों और नगरपालिकाओं के मध्य राशि के वितरण के लिए वही अनुपात बनाये रखने का प्रस्ताव करते हैं जिसकी सिफारिश पांचवें राज्य वित्त आयोग ने अपने अंतिम प्रतिवेदन में की है।

21. पांचवें राज्य वित्त आयोग ने सभी नगरीय स्थानीय निकायों को विभाज्य अंश का 70 प्रतिशत और शेष 30 प्रतिशत राशि नगरपालिकाओं की उनके सीमित संसाधनों और कमजोर वित्तीय स्थिति को देखते हुए वितरित करने की सिफारिश की थी। आयोग नगरीय स्थानीय निकायों के बीच विभाज्य राशि के उसी वितरण मानदंड की सिफारिश निम्न प्रकार करता हैः–

70 प्रतिशतः सभी नगरीय स्थानीय निकायों के बीच उनकी जनसंख्या (55 प्रतिशत) और क्षेत्रफल (15 प्रतिशत) के आधार पर

30 प्रतिशतः नगरपालिकाओं के बीच जनसंख्या के आधार पर (20 प्रतिशत) और नगरपालिकाओं की स्वयं की पाँच वर्ष की औसत प्रति व्यक्ति आय के विचलन के अनुपात में, जो उच्चतम औसत प्रति व्यक्ति आय रखने वाली नगरपालिका से आंकी गयी हो (10 प्रतिशत)।

वरीयता देते समय हमने जनगणना–2011 के जनसंख्या आंकड़ों को अंगीकार किया है।

22. सिफारिश किये गये न्यागमन में से हम नगरीय स्थानीय निकायों के लिए आधारभूत और विकासात्मक कार्य के लिए 75 प्रतिशत निधियां, राष्ट्रीय/राज्य प्राथमिकता स्कीमों/क्रियाकलापों के लिए 20 प्रतिशत निधियां और प्रोत्साहन के लिए 5 प्रतिशत निधियां निर्धारित करते हैं। प्रोत्साहन स्कीम के अधीन निर्मुक्त

राशि का नगरीय स्थानीय निकायों द्वारा उपयोग इस प्रतिवेदन के पैरा 16 के अनुसार किया जायेगा।

23. उपर्युक्त विवरण और मानदंडों के आधार पर वित्तीय वर्ष 2020–21 एवं 2021–22 के लिए नगरीय स्थानीय निकायों का अंश निम्न प्रकार है:

(करोड़ रुपये में)

प्रवर्ग/मानदंड	नगर निगम		नगर परिषद्		नगरपालिका		योग	
	2020–21	2021–22	2020–21	2021–22	2020–21	2021–22	2020–21	2021–22
जनसंख्या के आधार पर 55%	233.85	356.00	143.85	219.06	154.87	235.69	532.57	810.75
क्षेत्रफल के आधार पर 15%	41.86	63.72	33.01	50.26	70.37	107.13	145.24	221.11
नगरपालिकाओं के लिए अतिशेष 30%					290.49	442.22	290.49	442.22
कुल निधियां	**275.71**	**419.72**	**176.86**	**269.32**	**515.73**	**785.04**	**968.30**	**1474.08**
जिनमें से								
आधारभूत और विकासात्मक कार्यों के लिए निधि 75%	206.78	314.79	132.65	201.99	386.79	588.78	726.22	1105.56
राष्ट्रीय/राज्य प्राथमिकता स्कीमों/क्रियाकलापों के लिए अनुदान 20%	55.14	83.94	35.37	53.87	103.15	157.01	193.66	294.82
निष्पादन के लिए प्रोत्साहन अनुदान 5%	13.79	20.99	8.84	13.46	25.79	39.25	48.42	73.70

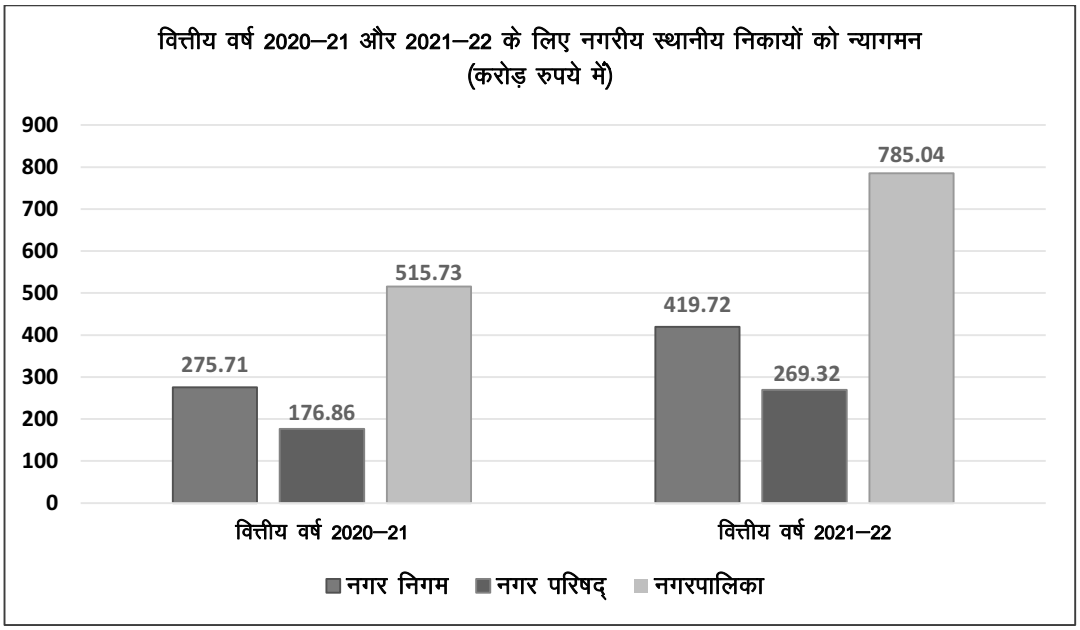

24. कुछ नगरपालिकाएं संसाधनों की कमी के कारण स्वच्छता सेवाएं देने में समस्याओं का सामना कर रही हैं। चूंकि ये मूलभूत नागरिक सेवाएं हैं, इसलिए नगरपालिकाएं अंतरिम व्यवस्था के रूप में मजदूरी घटक को सम्मिलित करते हुए इन सेवाओं के लिए वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति अनुदानों से कर सकेंगी, यदि ऐसा अपेक्षित हो।

पंद्रहवें केन्द्रीय वित्त आयोग के अंतर्गत अनुदान

25. पंद्रहवें केन्द्रीय वित्त आयोग ने पंचायती राज संस्थाओं और नगरीय स्थानीय निकायों के लिए वित्तीय वर्ष 2020–21 और 2021–22 के लिए अनुदानों की सिफारिश निम्न प्रकार की है:–

(करोड़ रुपये में)

संस्थाएं	2020–21	2021–22
पंचायती राज संस्थाएं	3862.00	2854.00
नगरीय स्थानीय निकाय	1859.00	1406.00
कुल	5721.00	4260.00

26. उपर्युक्त अनुदान हमारे द्वारा इस प्रतिवेदन में सिफारिश किये गये अनुदानों के अतिरिक्त हैं। आयोग की राय है और वह यह समुचित समझता है कि पंद्रहवें केन्द्रीय वित्त आयोग का स्थानीय निकायों के लिए पारस्परिक वितरण आयोग द्वारा सिफारिश किये गये मानदंडों और मानकों के आधार पर, पंद्रहवें केन्द्रीय वित्त आयोग द्वारा निर्धारित शर्तें पूरा करने के अध्यधीन किया जावे।

27. कोई भी निधि किसी भी व्यक्ति, पदधारी या जन प्रतिनिधियों की वैयक्तिक आवश्यकताओं/अपेक्षाओं पर राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट रूप से प्राधिकृत किये बिना खर्च नहीं की जानी चाहिए। इसी प्रकार, राज्य वित्त आयोग अनुदानों में से कोई भी निधि विज्ञापन प्रदर्शन, यानों के क्रय, कर्मचारियों (स्वच्छता स्टाफ और विनिर्दिष्ट रूप से प्राधिकृत व्यक्तियों के अतिरिक्त) के वेतन और भत्तों पर खर्च नहीं की जानी चाहिए।

28. हमारी सिफारिशें वित्तीय वर्ष 2020–21 से प्रभावी होंगी जैसा कि राज्यपाल के 12.04.2021 के आदेश में आज्ञापित है। हम यह दोहराना चाहेंगे कि ये उन परिवर्तनों के अध्यधीन होंगी जो अंतिम प्रतिवेदन में आवश्यक समझी जाएं।

29. राज्यपाल के आदेश दिनांक 12.04.2021 के अनुसार, आयोग की अवधि एक़ वर्ष छह माह की है। हमारा प्रयास नियत तारीख तक अंतिम प्रतिवेदन देने का रहेगा। तथापि, हमारे अंतिम प्रतिवेदन देने में हमारे नियंत्रण के परे अप्रत्याशित कारणों से विलंब होता है तो, हम यह नहीं चाहेंगे कि स्थानीय निकाय निधियों की समस्या का सामना करें। इसलिए, इस स्थिति से बचने के लिए हम सिफारिश करते हैं कि हमारे अंतिम प्रतिवेदन का कार्यान्वयन होने तक, इस आयोग द्वारा इस अंतरिम रिपोर्ट में सिफारिश किये गये राज्य के स्वयं के शुद्ध कर राजस्व का अनुपात, अंश, वितरण का फार्मूला और सभी अन्य मापदंड इन स्थानीय निकायों को निधियों के अंतरण के लिए प्रवृत्त रहेंगे।

सिफारिशों का सारांश

30. वित्तीय वर्ष 2020–21 और 2021–22 के लिए सिफारिशों का सारांश निम्न प्रकार है:–

(i) राज्य के स्वयं के शुद्ध कर राजस्व का 6.75 प्रतिशत जो वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए 3888.77 करोड़ रुपये और वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए 5919.98 करोड़ रुपये होता है। (पैरा 10 और 11)

(ii) सिफारिश की गयी राशि का पंचायती राज संस्थाओं और नगरीय स्थानीय निकायों के बीच विभाजन जनसंख्या के अनुपात 75.1:24.9 में किया जाये। तदनुसार, पंचायती राज संस्थाओं और नगरीय स्थानीय निकायों के लिए राशि क्रमशः वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए 2920.47 करोड़ रुपये और 968. 30 करोड़ रुपये और वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए 4445.90 करोड़ रुपये और 1474.08 करोड़ रुपये होती है। (पैरा 12)

(iii) सिफारिश की गयी राशि का 55 प्रतिशत आधारभूत और विकासात्मक कार्यों के लिए, 40 प्रतिशत कोविड–19 के प्रसार को नियंत्रित करने के उपायों को सम्मिलित करते हुए राष्ट्रीय/राज्य प्राथमिकता स्कीमों/क्रियाकलापों का पोषित करने के लिए निधि के रूप में और 5 प्रतिशत को विनिर्दिष्ट कार्यों के निष्पादन के लिए प्रोत्साहन अनुदान के रूप में पंचायती राज संस्थाओं को निर्मुक्त किया जा सकेगा। (पैरा 14)

(iv) सिफारिश की गयी राशि का 75 प्रतिशत आधारभूत और विकासात्मक कार्यों के लिए, 20 प्रतिशत कोविड–19 के प्रसार को नियंत्रित करने के उपायों को सम्मिलित करते हुए राष्ट्रीय/राज्य प्राथमिकता स्कीमों/क्रियाकलापों को पोषित करने के लिए निधि के रूप में और 5 प्रतिशत को विनिर्दिष्ट कार्यों के निष्पादन के लिए प्रोत्साहन अनुदान के रूप में नगरीय स्थानीय निकायों को निर्मुक्त किया जा सकेगा। (पैरा 14)

(v) पंचायती राज संस्थाओं के बीच संस्थावार वितरण जिला परिषदों के लिए 5 प्रतिशत, पंचायत समितियों के लिए 20 प्रतिशत और ग्राम पंचायतों के लिए 75 प्रतिशत होना चाहिए। (पैरा 17)

(vi) पंचायती राज संस्थाओं के अंश का जिलेवार वितरण सिफारिश किये गये मापदंडों और वरीयता के आधार पर किया जाना है। (पैरा 18)

(vii) नगरीय स्थानीय निकायों के लिए सिफारिश किये गये न्यागमन में से 70 प्रतिशत सभी नगरीय स्थानीय निकायों के मध्य में उनकी जनसंख्या (55 प्रतिशत) और क्षेत्रफल (15 प्रतिशत) के आधार पर; शेष 30 प्रतिशत निधि समस्त नगरपालिकाओं के मध्य जनसंख्या के आधार पर (20 प्रतिशत) और नगरपालिकाओं की स्वयं की पाँच वर्ष की औसत प्रति व्यक्ति आय के विचलन के अनुपात में, जो उच्चतम औसत प्रति व्यक्ति आय रखने वाली नगरपालिका से आंकी गयी हो (10 प्रतिशत) वितरित किया जा सकेगा। (पैरा 21)

(viii)नगरपालिकाएं मजदूरी घटक को सम्मिलित करते हुए स्वच्छता सेवाओं के लिए वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति हमारे सिफारिश किये गये अनुदान से कर सकेंगी। (पैरा 24)

(ix) वित्तीय वर्ष 2020–21 और 2021–22 के लिए पंद्रहवें केन्द्रीय वित्त आयोग अनुदानों की राशि पंचायती राज संस्थाओ और नगरीय स्थानीय निकायों को, उनके द्वारा निर्धारित शर्तें पूरी करने के अध्यधीन रहते हुए, षष्टम राज्य वित्त आयोग द्वारा सिफारिश किये गये मापदंडों और वरीयताओं के अनुसार वितरित की जा सकेगी। (पैरा 25 और 26)

(x) कोई भी निधि किसी भी व्यक्ति/पदधारी/जन प्रतिनिधियों की वैयक्तिक आवश्यकताओं पर खर्च नहीं की जानी चाहिए। (पैरा 27)

(xi) इस अंतरिम प्रतिवेदन में की गयी सिफारिशें हमारे अंतिम प्रतिवेदन के प्रभावी होने तक प्रवृत्त रहेंगी। (पैरा 29)

ह0
(प्रद्युम्न सिंह)
अध्यक्ष

ह0
(डा.लक्ष्मण सिंह रावत)
सदस्य

ह0
(अशोक लाहोटी)
सदस्य

ह0
(बन्ना लाल)
सदस्य सचिव

जयपुर,

28 जून, 2021